जसविन्द्र सिंह बनाम बाजा सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2019/66

30.12.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी सम्माहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – प्रार्थी द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर एकतरफा तौर पर दिनांक 15.11.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की हुई है जिसमें चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 61/48 के मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टे0 में से प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी के संबंध में रिकॉर्ड अभिलेखो का स्थगनादेश जारी किया गया है। प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 के नाम की भूमि स्वअर्जित भूमि है जिस पर प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की हुई है जिस पर प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 को ऐतराज है। अप्रार्थी संख्या 01 इस अस्थाई निषेधाज्ञा से बूरी तरह से प्रभावित है। अप्रार्थी संख्या 01 सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहा है। प्रार्थी द्वारा एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की हुई है। आदेश 39 नियम 3 ए सीपीसी के अनुसार एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रार्थनापत्र का 30 दिन में निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान् जी द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.11.2019 को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि– अप्रार्थी संख्या 01 की वादग्रस्त भूमि स्वयंअर्जित सम्पत्ति नहीं है जबकि जद्दी जायदाद है। अप्रार्थी/प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी/प्रार्थी के हक में है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जिस विषय वस्तु का निस्तारण वाद के निस्तारण से होना है उक्त सम्पति की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित आ गये है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारीज किया जाता है। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सीपीसी हेतु दिनांक 20.01.2025 पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested